

बिहार गज़ट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 **भाद्र** 1939 (**श**0) (सं0 पटना 800) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-23/2017/171/लेजः ।-—िबहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्निलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 [बिहार अधिनियम 21, 2017]

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंम।** (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. **परिभाषाएँ । –** इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो
 - (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017;
 - (ii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-4 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष;
 - (iii) ''अंगीभूत महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शिक्षण संस्थान, जिसमें स्नातक एवं उससे उपर की शिक्षा प्रदान की जाती हो;
 - (iv) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान;
 - (V) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमनों द्वारा विहितः
 - (vi) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं सहायक प्राचार्य (एसिटेन्ट प्रोफेसर);
 - (Vii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा—निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;
 - (Viii) ''सह प्राचार्य'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन / दिशा—निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;
 - (ix) ''सहायक प्राचार्य'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन / दिशा—निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;
 - (X) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 या पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के अधीन भविष्य में स्थापित होने वाला कोई विश्वविद्यालय, किन्तु इसमें विधि, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षण वाले विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं;
 - (xi) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (Xii) "विभाग" से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग
 - 3. **आयोग का गठन ।**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करेगी।
 - (2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। जिसे शाश्वत् उतराधिकार तथा अपनी मुहर होगी एवं जो उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।
 - 4. **आयोग की संरचना।** (1) आयोग एक अध्यक्ष एवं अधिकतम छः सदस्य से मिलकर होगा एवं वे पूर्णकालिक होंगे।
 - (2) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी।

परन्तु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 72 (बहत्तर) वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 70 (सत्तर) वर्ष होगी।

अध्यक्ष एवं सदस्यगण तीन वर्षों के कार्यकाल के बाद पुनः तीन वर्ष की अवधि के लिए उनकी उपरोक्त अधिकतम उम्र सीमा के अन्तर्गत पुनर्नियोजन के पात्र होंगें।

(3) अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में आयोग के वरीय सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त होगा।

- 5. अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हत्ता ।— (1) अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति राज्य सरकार में मुख्य सचिव के समकक्ष अथवा भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा सेवा निवृत पदाधिकारी होंगे अथवा वैसे व्यक्ति होंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय के कुलपित के रूप में कार्य करने का अनुभव हो अथवा ऐसे व्यक्ति जो प्रख्यात शिक्षाविद हों।
- (2) कुल छः सदस्यों में से न्यूनतम आधे सदस्य विश्वविद्यालय प्राचार्य होंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो तथा आधे सदस्य राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत या सेवा निवृत अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार समकक्ष पंक्ति के कार्यरत अथवा सेवा निवृत अधिकारी होंगे।
- 6. अध्यक्ष एवं सदस्यगण का त्यागपत्र एवं हटाया जाना ।— (1) अध्यक्ष एवं सदस्यगण अपने हाथ से लिखित और राज्य सरकार को सम्बोधित अनुरोध पत्र द्वारा अपना पदत्याग करते हुए त्याग पत्र समर्पित कर सकेगें, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर प्रवृत्त होगा :

परंतु यदि त्यागपत्र की स्वीकृति इसकी प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर संसूचित नहीं की जाती है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा,

- (2) अध्यक्ष एवं सदस्यगण आयोग से हटा दिये जायेगे, यदि वे
 - (क) न्यायालय के द्वारा दिवालिया न्याय-निर्णीत कर दिए गए हों, अथवा
 - (ख) अपने पद के कर्तव्यों के दौरान किसी नियोजन में लगे हों, अथवा
 - (ग) सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक असमर्थता या किसी प्रकार की ऐसी भूलचूक के कार्य में लिप्त होने के कारण, जो कि आयोग के हित में अहितकर हो, कार्यालय में आगे बने रहने के लिए अयोग्य हो :

परन्तु, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण दुराचरण या सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर, नियमों के अधीन विहित रीति से जाँच-पड़ताल किये बिना, जिसमें कि ऐसे दुराचरण एवं दुर्व्यवहार को साबित किया जा सकें, कार्यालय से नहीं हटाये जायेंगे।

- 7. आयोग के सचिव । (1) आयोग का एक सचिव होगा जो पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा।
- (2) आयोग के सचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में से, जो राज्य सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव के वेतनमान में हों, की जाएगी।
- 8. आयोग के कार्य एवं शक्ति। अयोग विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों / संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु, जैसा कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम, 24, 1976) एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (बिहार अधिनियम 23, 1976) में विहित किया गया है, अनुशंसा करेगा एवं अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में, यह उक्त अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाए गए परिनियम के अधीन आयोग के लिए यथा विहित कृत्यों का निर्वहन करेगा।
- 9. नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार किसी अन्य विषय सिहत जो विहित किया जाने वाला या किया जाए, इस अधिनियम के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों, को पूरा करने/आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य/सिचव/पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के लिए, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- 10. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति। (1) आयोग पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया सहित अपने कामकाज और प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु विनियम बना सकेगा।
- (2) आयोग के द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवृत्त होगा।
- 11. निरसन एवं व्यावृत्ति ।— (1) इस अधिनियम के प्रवृत होने के पश्चात्, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन बिहार लोक सेवा आयोग की विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति निरसित समझी जाएगी।
- (2). ऐसे निरसन के होते हुए भी, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस तिथि प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं0 एल0जी0-01-23/2017/172/लेजः |---बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 का निम्निलखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar State University Service Commission Act, 2017

[Bihar Act 21, 2017]

AN

ACT

To provide for the constitution of the Bihar State University Service Commission for appointment to the post of teachers in the universities and constituent colleges of the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar State University Service Commission Act, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
 - (3) It shall come into force on such date as the State Government may fix by notification in the official Gazette.
 - **2. Definitions -** In this Act, unless otherwise requires in the subject or context -
 - (i) 'Act' means the Bihar State University Service Commission Act; 2017;
 - (ii) 'Chairman' means the Chairman appointed under Section -4 of the Act;
 - (iii) 'Constituent College' means a teaching institution maintained or controlled by the university or State Government in which education of graduation and above in given;
 - (iv) 'Institution' means Institution maintained or recognised by the university;
 - (v) 'Prescribde' means prescribed under this Act or Rules or Regulations made thereunder;
 - (vi) 'Teacher' means, Professor, Associate Professor and Assistant Professor imparting instruction in department, college or institute maintained by the university or constituent college;
 - (vii) 'Professor' means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the University Grants Commission Regulations/ directives or statutes made by the State Government;
 - (viii) 'Associate Professor' means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the University Grants Commission Regulations/ directives or statutes framed by the State Government;
 - (ix) 'Assistant Professor' means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the

University Grants Commission Regulations/ directives or statutes made by the State Government;

- (x) 'University' includes university established under Bihar University Act, 1976 or Patna University Act, 1976 or any other university to be established in future under any other legal provision but it does not include law, medical, technical teaching universities;
- (xi) 'Government' means State Government of Bihar;
- (xii) 'Department' means Education Department;

3. Constitution of Commission. -

- (1) The State Government shall, by a notification published in the official gazette, set up the Bihar State University Service Commission (hereinafter referred to as Commission),
- (2) The Commission will be a body corporate, having its head office in Patna, which will have perpetual heritance and its common seal and may sue or may be sued in the said name.
- **4. Composition of the Commission.** (1) The Commission will consist of a Chairman and maximum six members and they shall be wholtime,
- (2) The Chairman and the members of the Commission shall be appointed by the State Government as per the prescribed procedure for the period of three years from the date of the notification:

Provided that the Maximum age (Retirement) for the post of Chairman shall be 72 years and 70 years (Retirement) for the members.

The Chairman and the members shall be eligible for reappointment after expiry of tenure of three years, subject to age restriction as provided above.

- (3) The senior most Member of the commission shall be empowered to function as chairman in case of any casual vacancy occur to the post of chairman
- 5. The qualification for appointment to the post of Chairman/ Members.

 (1) A person to be appointed to the post of Chairman shall be a person working or retired from the equivalent post of the Chief Secretary of the State Government or person working or retired from the equivalent post of Secretary to Government of India or shall be a person having experience of Vice Chancellor of any university or an eminent academician.
- Out of six members, minimum half of the members shall be University Professor having at least five years experience as University Professor and half of the members shall be working or retired officers of State Government not below the rank of Joint Secretary or working or retired officers of equivalent rank of Central Government.
- **Resignation and Removal of Chairman and members.-** (1) The Chairman or member of the Commission may, by request letter in writing under his hand and addressed to State Government, resign his office which shall come in to force on being accepted by the State Government:

Provided that if the acceptance of resignation is not communicated within fifteen days from the date of its receipt, it shall be deemed to have been accepted.

- (2) The Chairman and members shall be removed from the commission if he/she.
- (a) is adjudged an insolvent; or
- (b) engage herself/himself in any employment during duties of her/his office; or

(c) she/he is in the opinion of the Government, unfit to continue to the office due to mental and physical incapacity or on indulging in any act of omission or commission detrimental to the interest of the commission.

Provided, that the Chairman and members of the Commission will not be removed from the office on the ground of proved misconduct or misbehaviour without an enquiry made in the manner prescribed under the rules so that such misconduct or misbehavior may be proved.

- **7. Secretary of the Commission. -** (1) There shall be a secretary of the Commission, who shall be a full time officer.
- (2) The Secretary of the Commission shall be appointed from amongst the officers of Bihar Administrative Service who is in the pay scale of at least Joint Secretary in the State Government.
- 8. Function and power of the Commission. The Commission will make recommendations for the appointment of teachers in the Universities and Constituent Colleges of Bihar as prescribed under the Patna University Act, 1976 (Bihar act 24, 1976) and the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) and in respect of appointment of teachers and it shall discharge such functions for the appointment of teacher as prescribed for the Commission, under the said Acts and the Statutes made there under.
- **9. power of State Government to make rules.-** The state government, by notification in official gazette, may make rules for appointment/ service conditions of the Chairman/ Members/ Secretary/ Officers/ staffs of the Commission and for carrying out objects and purposes of this act, including for any other matter which has to be or may be prescribed.
- **10. Power of the Commission to frame Regulation.-** (1) The Commission may frame regulation for regulating its work and procedure including for the process of selection of eligible candidate.
- (2) The Regulation made by the Commission shall come in force only after prior approval of the State Government.
- 11. Repeal and Savings- After this Act comes in to force, the power of Bihar Public Service Commission for the appointment of teachers of the Universities and constituent colleges under the Bihar State Universities Act, 1976 and the Patna University Act, 1976 shall be deemed to be repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken on the recommendation of Bihar Public Service Commission under the Bihar State Universities Act, 1976 and under the Patna University Act, 1976 shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was enforced on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR,

Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 800-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in